

## सांप्रदायकिता

यदहिम भारतीय परप्रेरक्षण में सांप्रदायकिता पर दृष्टिपात करें तो यह आधुनिक राजनीति के उद्भव का ही परणाम है। हालाँकि इससे पूर्व भी भारतीय इतिहास में हमें ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जो सांप्रदायकिता की भावना को बढ़ावा देते हैं लेकिन वे सब घटनाएँ अपवाद स्वरूप ही रही हैं। उनका प्रभाव समाज एवं राजनीति पर व्यापक स्तर पर नहीं दिखता। वर्तमान संदर्भ में सांप्रदायकिता का मुद्दा न केवल भारत में अपनी विश्व स्तर पर भी चति का विषय बना हुआ है।



### सांप्रदायकिता की अवधारणा:

- सांप्रदायकिता एक विचारधारा है जिसके अनुसार कोई समाज भनिन-भनिन हतों से युक्त वभिन्न धर्मकि समुदायों में वभिजति होता है।
- सांप्रदायकिता से तात्पर्य उस संकीरण मनोवृत्तति से है, जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हतों के विद्वध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हतों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है।
- एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विद्वध कथि गए शत्रुघाव को सांप्रदायकिता के रूप में अभियक्त कथि जाता है।
- यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतनिधित्व करती है, जिसमें सांप्रदायकिता को आधार बनाकर राजनीति की पूरती की जाती है और जिसमें सांप्रदायकि विचारधारा के विशेष परणाम के रूप में सांप्रदायकि हस्ति की घटनाएँ होती हैं।
- सांप्रदायकिता में नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही पक्ष वदियमान होते हैं।
- सांप्रदायकिता का सकारात्मक पक्ष, कसी व्यक्तिद्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लयि कथि गए सामाजिक और आरथिक प्रयासों को शामलि करता है।
- वही दूसरी तरफ इसके नकारात्मक पक्ष को एक विचारधारा के रूप में देखा जाता है जो अन्य समूहों से अलग एक धर्मकि पहचान पर ज़ोर देता है, जिसमें दूसरे समूहों के हतों को नज़रअंदाज़ कर पहले अपने स्वयं के हतों की पूरती करने की प्रवृत्तिदेखी जाती है।

### भारतीय संदर्भ में सांप्रदायकिता का विकास

- नशिचति तौर पर प्राचीन काल में समाज वभिन्न वरणों एवं धर्मों में वभिक्त था, बावजूद इसके हमें भारतीय समाज में सांप्रदायकिता के आधार पर हुई हस्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है।
- मौर्य काल में भी अशोक के शलिलेखों में धर्मकिता, सहषिणता के बारे में जानकारी मिलती है जिसमें उसकी धम्म नीतिकी चर्चा विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
- मध्यकाल में अकबर द्वारा 'दीन - ए इलाही' की स्थापना भी सभी धर्मों को समान भाव से देखने से ही संबंधित थी।
- हालाँकि औरंगज़ेब द्वारा कुछ ऐसे कार्य कथि गए जिन्हें धर्मकि दृष्टि से असहिष्णु कहा जा सकता है, जैसे-मंदरिं को तोड़ना, ज़बरन धर्मांतरण, सखि गुरु की हत्या आदि लेकिन ये सभी घटनाएँ सामान्य तौर पर घटति न होकर अपवाद स्वरूप ही थीं। हादि एवं मुस्लिम दोनों अपने आरथिक हतों को साझा करते थे तथा दोनों ही शांतपूर्वक सह-अस्ततिव में विश्वास रखते थे।
- भारत में सांप्रदायकिता के वर्तमान स्वरूप की जड़ें अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में स्थापित हुई। यह उपनिवेशवाद का प्रभाव तथा

- इसके खलिफ उत्पन्न संघर्ष की आवश्यकता का प्रतफिल थी।
- हालाँकि 1857 के वदिरोह के समय भी हृषि-मुसलमि एकजुट होकर सामने आए परंतु इसके बाद स्थितियों में परविरतन आया तथा अंगरेज़ों द्वारा 'फूट डालो राज करो' की नीतिके माध्यम से भारत में अपने हतों की पूरताकी गई। इसके लिये उनके द्वारा समय-समय पर 'सांप्रदायकि कारड' का प्रयोग किया गया।
- वर्ष 1905 में बंगाल वभिजन का कारण बेशक प्रशासनकि असुवधा को बताया गया परंतु इसे सांप्रदायकिता को आधार बनाकर ही पूरा किया गया।
- वर्ष 1906 में मुसलमि लीग की स्थापना हृषि-मुसलमि सांप्रदायकिता को आधार बनाकर की गई।
- वर्ष 1909 का मारले-मटो सुधार/ भारत शासन अधनियम, जसिमें मुसलमि वर्ग के लिये पृथक नरिवाचन मंडल की बात की गई, हृषि-मुसलमि एकता को कमज़ोर करने तथा दोनों वर्गों के बीच टकराव की स्थितिउत्तपनन करने के लिये ही लाया गया था।
- वर्ष 1932 में 'कमयूनल अवॉर्ड' की घोषणा वभिन्न समुदायों को संतुष्ट करने के लिये की गई। इससे सांप्रदायकि राजनीतिको और अधकि बढ़ावा मिला।
- वर्ष 1940 के लाहौर अधविशन में पृथक राज्य के रूप में एक मुसलमि बहुल क्षेत्र पाकसितान की मांग करना सांप्रदायकिता की भावना से ही प्रेरित थी।
- वर्ष 1947 में भारत का वभिजन हुआ। हालाँकि यह वभिजन स्वतंत्रता के बाद हुआ परंतु इसका आधार तैयार करने में जहाँ सामाजिक, राजनीतिकि कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी थे तो वही सांप्रदायकि कारण भी समानांतर विद्यमान थे।
- सांप्रदायकिता के आधार पर राजनीतिका यह क्रम यही पर नहीं रुका बल्कि आजादी के बाद भी आज तक भारतीय समाज एवं राजनीति में उपस्थिति है।

## सांप्रदायकिता के कारण:

वरतमान परदृश्य में सांप्रदायकिता की उत्पत्तिके लिये कसी एक कारण को पूरणतः ज़मिमेदार नहीं ठहराया जा सकता बल्कि यह वभिन्न कारणों का एक मिला-जुला रूप बन गया है। सांप्रदायकिता के लिये ज़मिमेदार कुछ महत्त्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं-

## राजनीतिकि कारण:

- वरतमान समय में वभिन्न राजनीतिकि दलों द्वारा अपने राजनीतिकि लाभों की पूरताके लिये सांप्रदायकिता का सहारा लिया जाता है।
- एक प्रक्रया के रूप में राजनीतिका सांप्रदायकिरण भारत में सांप्रदायकिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश में सांप्रदायकि हसिं की तीव्रता को बढ़ाता है।

## आरथिकि कारण:

- विकास का असमान स्तर, वर्ग वभिजन, गरीबी और बेरोज़गारी आदिकारक सामान्य लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न करते हैं।
- असुरक्षा की भावना के चलते लोगों का सरकार पर विश्वास कम हो जाता है परणामस्वरूप अपनी ज़रूरतों/हतों को पूरा करने के लिये लोगों द्वारा वभिन्न राजनीतिकि दलों, जनिका गठन सांप्रदायकि आधार पर हुआ है, का सहारा लिया जाता है।

## प्रशासनकि कारण:

पुलसि एवं अन्य प्रशासनकि इकाइयों के बीच समन्वय की कमी।

कभी-कभी पुलसि कर्मियों को उच्चि प्रशासनिकि प्राप्त न होना, पुलसि ज़्यादती इत्यादिभी सांप्रदायकि हसिं को बढ़ावा देने वाले कारकों में शामिल होते हैं।

## मनोवैज्ञानिकि कारण:

- दो समुदायों के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी या एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न, आदिके कारण उनमें भय, शंका और खतरे का भाव उत्पन्न होता है।
- इस मनोवैज्ञानिकि भय के कारण लोगों के बीच विवाद, एक-दूसरे के प्रतिनिफरत, क्रोध और भय का माहौल पैदा होता है।

## मीडिया संबंधी कारण:

- मीडिया द्वारा अक्सर सनसनीखेज आरोप लगाना तथा अफवाहों को समाचार के रूप में प्रसारित करना।
- इसका परणाम कभी-कभी प्रतिविवदी धार्मकि समूहों के बीच तनाव और दंगों के रूप में देखने को मिलता है।
- वही सोशल मीडिया भी देश के कसी भी हसिंसे में सांप्रदायकि तनाव या दंगों से संबंधित संदेश को फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है।

## देश में सांप्रदायकिता से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएँ:

भारत में सांप्रदायकि हसिं की स्थितिउत्पन्न करने और उसे प्रोत्साहित करने में वभिन्न सामाजिक, राजनीतिकि, आरथिकि और प्रशासनकि कारण सामूहिकि रूप से ज़मिमेदार रहे हैं।

इन सामूहिक कारणों की परणित हिमें सांप्रदायिक हसिंह के रूप में समय-समय पर देखने को मिलती है। देश में सांप्रदायिक हसिंह से संबंधित कुछ घटनाएँ इस प्रकार हैं-

- वर्ष 1947 में भारत का वभिजन
- वर्ष 1984 में सखि वरिधी दंगे
- वर्ष 1989 में घाटी से कश्मीरी पंडितों का नष्टिकासन
- वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद
- वर्ष 2002 में गुजरात में दंगे
- वर्ष 2013 में मुजफ्फरपुर में दंगे इत्यादि

## सांप्रदायिक का परणाम:

- देश में बार-बार होने वाली सांप्रदायिक हसिंह धर्मनिपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले संवेधानकि मूलयों पर प्रश्नचिह्न लगता है।
- सांप्रदायिक हसिंह में पीड़ित परविरों को इसका सबसे अधिक खामयाजा भुगतना पड़ता है, उन्हें अपना घर, प्रयिजनों यहाँ तक कि जीविका के साधनों से भी हाथ धोना पड़ता है।
- सांप्रदायिकता समाज को सांप्रदायिक आधार पर वभिजन करती है।
- सांप्रदायिक हसिंह की स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग को समाज में संदेह की दृष्टिसे देखा जाता है और इससे देश की एकता एवं अखंडता के लिये खतरा उत्पन्न होता है।
- सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये भी चुनौती प्रस्तुत करती है क्योंकि सांप्रदायिक हसिंह को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश के ही नागरिक शामिल होते हैं।

## समाधान:

- वरतमान आपराधिक नयाय परणाली में सुधार करने के साथ-साथ, शीघ्र परीक्षणों और पीड़ितों को प्रयाप्त मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता है, जो पीड़ितों के लिये नविरक के रूप में कार्य कर सके।
- शांति, अहसिंह, करुणा, धर्मनिपेक्षता और मानवतावाद के मूलयों के साथ-साथ वैज्ञानिकता (एक मौलिक करतत्वय के रूप में नहिति) और तरक्ससंगतता के आधार पर स्कूलों और कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में बच्चों के उत्कृष्ट मूलयों पर ध्यान केंद्रित करने, के मूल्य-उन्मुख शक्षिष्ठ पर जोर देने की आवश्यकता है जो सांप्रदायिक भावनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
- सांप्रदायिक दंगों को रोकने हेतु प्रशासन के लिये संहतिबद्ध दशि-निरदेश जारी कर तथा, पुलिस बल के लिये विशेष प्रशक्षिष्ठ साथ ही, जाँच और अभियोजन एजेंसियों का गठन कर सांप्रदायिकता के कारण होने वाली हसिंह घटनाओं में कमी की जा सकती है।
- सरकार, नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों को सांप्रदायिकता के खलिक जागरूकता के प्रसार में मदद करने वाली परियोजनाओं को चलाने के लिये उन्हें प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान कर सकती है, ताकि आने वाली पीड़ियों में मजबूत सांप्रदायिक सद्भाव के मूल्यों का निर्माण किया जा सके और इस प्रकार एक बेहतर समाज का निर्माण करने में मदद मिल सकती है।
- सांप्रदायिक हसिंह को रोकने के लिये मजबूत कानून की आवश्यकता होती है। अतः सांप्रदायिक हसिंह (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनरवास) विधियक, 2005 को मजबूती के साथ लागू करने की आवश्यकता है।
- साथ ही बना कर्सी भेदभाव के युवाओं की शक्षिष्ठ एवं बेरोज़गारी की समस्या का उन्मूलन किया जाने की आवश्यकता है ताकि एक आदरश समाज की स्थापना की जा सके।

## नष्टिकर्ष:

वरतमान समय में सांप्रदायिक हसिंह की घटनाएँ भारत के साथ-साथ विश्व स्तर पर भी देखी जा रही हैं। धर्म, राजनीति, क्षेत्रवाद, नस्लीयता या फरि कर्सी भी आधार पर होने वाली सांप्रदायिक हसिंह को रोकने के लिये ज़रूरी है कि हिम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें और अपने करतत्वयों का निरिवहन ईमानदारी एवं सच्ची नष्टिका के साथ करें। यदि हिम ऐसा करने में सफल हो पाते हैं, तो नष्टिका रूप से न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर सद्भावना की स्थिति कायम होगी क्योंकि सांप्रदायिकता का मुकाबला एकता एवं सद्भाव से ही किया जा सकता है।